न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 443/2023

अपीलांट्स

1. माणकराम पुत्र आदूराम
2. तेजाराम पुत्र पोकरराम
3. बाबूलाल पुत्र झुंजारराम

(जाति राईका, निवासी कोसाणा तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर)

रेस्पोडेन्ट्स

1. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार पीपाड शहर, जोधपुर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत कोसाणा, प0स0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध भूमि आरक्षित आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर कमांकःप.12(3–)राज/म./आरक्षित /08/4269–75 दिनांक 11.06.2008

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1 व 2

निर्णय

दिनांक 24.06.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट्स ने जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसील भोपालगढ स्थित ग्राम कोसाणा के खसरा नं0 1243 रकबा 539.04 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर में से 0.10 बीघा भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर को उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के पत्रांकः राजस्व/537 दिनांक 08.04.2008 के द्वारा तहसील भोपालगढ स्थित ग्राम कोसाणा के खसरा नं0 1243 रकबा 539.04 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 0.10 बीघा भूमि सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ आरक्षित (सेट–अपार्ट) करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत कोसाणा द्वारा दिनांक 26.01.2008 को प्रस्ताव पारित किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर से प्राप्त प्रस्ताव पर राजस्व विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.6(12)/राज/6/92/21 दिनांक 23.12.93 एवं प.6(13)/राज/6/92/6 दिनांक 23.5.94 तथा प.6(746)/राज/3/01 दिनांक 11.01.2002 के अनुसरण में अपने आदेश क्रमांक 4269 दिनांक 11.06.2008 द्वारा ग्राम कोसाणा के खसरा नं0 1243 रकबा 539.04 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर में से 0.10 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार किये जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार भोपालगढ ने ग्राम कोसाणा के ख0नं0 1243 रकबा 539.04 बीघा भूमि में से 0.10 बीघा भूमि को धारा 102ए के तहत ग्राम पंचायत कोसाणा को श्मशान हेतु आरक्षित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के मार्फत जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा बिना कोई सार्वजनिक आपत्तियां मांगे तथा नियम 7 राज0 टिनेन्सी अधिनियम 1955 की पालना किए बिना गै0मु0गोचर भूमि में से सार्वजनिक शमशान हेतु 0.10 बीघा भूमि आरक्षित करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध है।

अपीलार्थी ग्राम कोसाणा के पशुपालक कृषक है तथा खसरा नं0 1243 की गै0मु0गोचर भूमि को पीढियों से एवं जागीर काल से गोचर के उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त भूमि का नियमन, आवंटन नही किया जा सकता है तथा धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान में इस प्रकार की भूमि को अन्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपयोग में परिवर्तन/आरक्षित करने की वर्जना दी हुई है। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 92 एवं धारा 102–ए राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है। उक्त प्रावधानों में गोचर भूमि को अन्य उपयोग में आरक्षित करने की छूट नही है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश राज0 टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7(2) की पालना किए बिना पारित किया गया है, जिसका अधिकार नही है।

प्रश्नगत गोचर ख0न0 1243 रकबा 539.04 बीघा भूमि के बीचो बीच शमशान भूमि आरक्षित की गई है। जिससे पूरे रकबे को नुकसान पंहुचेगा तथा वहां तक आने जाने के लिए लोग रास्ते की मांग करेगें। जिससे गोचर में पशुचराई के उपयोग में बाधा उत्पन्न होगी। गांव में कई जगह पूर्व से श्मशान आए हुए है, नये श्मशान की कोई आवश्यता नही है। उक्त श्मशान भूमि का आरक्षण सरपंच ग्रा0पं0 कोसाणा द्वारा राजनैतिक लाभ के लिए करवाया गया है। अत अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत कोसाणा की मांग अनुसार तहसीलदार भोपालगढ द्वारा ग्राम कोसाणा के खसरा नं0 1243 रकबा 539.04 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर में से 0.10 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु आरक्षित करने के प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर ने अपनी अभिशंषा के साथ जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित किया गया। जिसके लिए ग्रा0पं0 कोसाणा द्वारा दिनांक 26.1.08 को प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि मौके पर शमशान हेतु काम में आ रही है व उक्त 10 विस्वा भूमि से गोचर भूमि पर कोई प्रभाव नही पडने का उल्लेख है। जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र कमांकः प.6(12)/राज/6/92/21 दिनांक 23.12.93 एवं प.6(13)/राज/6/92/6 दिनांक 23.5.94 तथा प.6(746)/राज/3/01 दिनांक 11.1.02 के अनुसरण में अपने आदेश कमांक 4269 दिनांक 11.06.2008 द्वारा ग्राम कोसाणा के खसरा नं0 1243 रकबा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

539.04 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 0.10 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु आरक्षित (सेट—अपार्ट) की गई। अतः आवंटन आदेश विधिसम्मत एवं सार्वजनिक हित में होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। आलौच्य प्रकरण में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंषा पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(12)/राज/6/92/21 दिनांक 23.12.93 एवं प.6(13)/राज/6/92/6 दिनांक 23.5.94 तथा प.6(746)/राज/3/01 दिनांक 11.01.2002 के अनुसरण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु भूमि की आवश्यता को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश कमांक 4269 दिनांक 11.06.2008 द्वारा ग्राम कोसाणा के ख0नं0 1243 कुल रकबा 539.04 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 0.10 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान हेतु आरक्षित (सेट—अपार्ट) की गई। जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिमाण स्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन व आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश कमांक 4269—75 दिनांक 11.06.2008 विधिसम्मत होने से यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

... श्मशान प्रयोजनार्थ आरक्षित